

# सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016

## खंडों का क्रम

खंड

### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

### अध्याय 2

#### सरोगेसी क्लीनिकों का विनियमन

3. सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिषेध और विनियमन ।

### अध्याय 3

#### सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन

4. सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन ।
5. सरोगेसी का प्रतिषेध ।
6. सरोगेट माता की लिखित जागरूक सहमति ।
7. सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक का परित्याग करने का प्रतिषेध ।
8. आरोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजनकोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या ।
9. गर्भपात का प्रतिषेध ।

### अध्याय 4

#### सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण

10. सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण ।
11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।
12. रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित किया जाना ।
13. अपील ।

### अध्याय 5

#### राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड

14. राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन ।
15. सदस्यों की पदावधि ।
16. बोर्ड की बैठकें ।
17. रिक्तियों आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

**खंड**

18. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता ।
19. विशेष प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त होना ।
20. बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।
21. सदस्य की पुनःनियुक्ति के लिए पात्रता ।
22. बोर्ड के कृत्य ।
23. राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन ।
24. राज्य बोर्ड की संरचना ।
25. सदस्यों की पदावधि ।
26. बोर्ड के अधिवेशन ।
27. रिक्तियों आदि का राज्य बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।
28. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता ।
29. राज्य बोर्ड के साथ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त होना ।
30. राज्य बोर्ड के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ।
31. सदस्यों की पुनःनियुक्ति के लिए पात्रता ।

**अध्याय 6****समुचित प्राधिकारी**

32. समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति ।
33. समुचित प्राधिकारी के कृत्य ।
34. समुचित प्राधिकारी की शक्तियां ।

**अध्याय 7****अपराध और शास्तियां**

35. वाणिज्यिक सरोगेसी, सरोगेट माताओं और सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालकों के शोषण का प्रतिषेध ।
36. अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड ।
37. वाणिज्यिक सरोगेसी आरंभ करने के लिए दंड ।
38. अधिनियम और नियम के उपबंधों जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है के उल्लंघन के लिए शास्ति ।
39. सरोगेसी की दशा में उपधारणा ।
40. अपराधों का संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय होना ।
41. अपराधों का संज्ञान ।
42. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के कतिपय उपबंधों का लागू न होना ।

खंड

अध्याय 8

प्रकीर्ण

43. अभिलेखों का अनुरक्षण ।
44. अभिलेखों की तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति ।
45. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
46. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना ।
47. नियम बनाने की शक्ति ।
48. विनियम बनाने की शक्ति ।
49. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
50. संक्रमणकालीन उपबंध ।
51. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

**2016 का विधेयक संख्यांक 257**

[दि सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

# **सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016**

सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय  
सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित  
प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे संबद्ध या  
उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :-

## **अध्याय 1**

### **प्रारंभिक**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2016  
है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

5 नियत करे ।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारंभ ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "परित्यक्त बालक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

(i) सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मा बालक ;

(ii) आशय रखने वाले माता-पिता या अभिभावकों द्वारा अभित्यजित बालक ; और

(iii) बालक जिसे सम्यक जांच के पश्चात् समुचित प्राधिकारी द्वारा परित्यक्त घोषित कर दिया गया है ;

(ख) "स्वार्थहीन सरोगेसी" से ऐसी सरोगेसी अभिप्रेत है, जिसमें सरोगेट माता को या उसके आश्रितों या उसके प्रतिनिधियों को, सरोगेट माता पर उपगत चिकित्सीय व्ययों और सरोगेट माता के लिए बीमा कवर के सिवाय, किसी भी प्रकृति के किन्हीं प्रभारों, व्ययों, फीस, पारिश्रमिक या धनीय प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया है ;

(ग) "समुचित प्राधिकारी" से धारा 32 के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "बोर्ड" से धारा 14 के अधीन गठित राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "नैदानिक स्थापन" का वही अर्थ होगा, जो उसका नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 में है;

(च) "वाणिज्यिक सरोगेसी" से सरोगेसी सेवाओं या प्रक्रियाओं या उसके घटक सेवाओं या घटक प्रक्रियाओं का वाणिज्यीकरण अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत मानवीय भ्रूण का विक्रय या क्रय अथवा मानवीय भ्रूण या युग्मकों के विक्रय या क्रय में व्यापार या किसी सरोगेट माता या उसके आश्रितों या उसके प्रतिनिधियों को, सरोगेट माता पर उपगत चिकित्सीय व्ययों और सरोगेट माता के लिए बीमा कवर को छोड़कर, नकद या वस्तु रूप में कोई संदाय, पुरस्कार, फायदा, फीस, पारिश्रमिक या धनीय प्रोत्साहन देकर सरोगेट मातृत्व की सेवाओं का विक्रय या क्रय अथवा उनका व्यापार करना भी है;

(छ) "दम्पति" से विधिक रूप से विवाहित भारतीय पुरुष और स्त्री अभिप्रेत हैं, जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक है;

(ज) "डिम्ब" में स्त्री युग्मक सम्मिलित है;

(झ) "भ्रूण" से निषेचन के पश्चात् छप्पन दिनों की समाप्ति तक विकसित हो रहा या विकसित जीव अभिप्रेत है;

(ञ) "निषेचन" से शुक्राणु द्वारा अण्डाणु का वेधन और आनुवंशिक सामग्रियों का संयोजन अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप युग्मनज का विकास होता है ;

(ट) "गर्भ" से निषेचन या सृजन (किसी ऐसे समय को अपवर्जित करते हुए, जिसमें उसके विकास को निलंबित किया गया है) के पश्चात् सतावनवें दिन से प्रारंभ होने वाली और शिशु के जन्म पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई

विकसित होने वाला मानवीय जीव अभिप्रेत है;

(ठ) "युग्मक" से शुक्राणु और डिम्बाणुजनकोशिका अभिप्रेत है;

(ड) "स्त्रीरोग विशेषज्ञ" का वही अर्थ होगा, जो उसका गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 में है;

5 (ढ) "मानव भ्रूण विज्ञानी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन मानव भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सीय अर्हता है या जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव भ्रूण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और साथ ही कम से कम दो वर्ष का नैदानिक अनुभव है;

10 (ण) "आरोपण" से जोना-फ्री ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना और पश्चातवर्ती वेधन अभिप्रेत है, जो निषेचन के पश्चात् पांच से सात दिनों में आरंभ होता है;

(त) "अनुर्वरता" से असंरक्षित मैथुन के पांच वर्षों के पश्चात् भी गर्भधारण करने में असमर्थता या ऐसी कोई अन्य साबित चिकित्सीय परिस्थिति अभिप्रेत है, जो किसी दम्पति को गर्भधारण करने से निवारित करती है;

15 (थ) "बीमा" से ऐसा कोई ठहराव अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई कंपनी, व्यष्टि या आशय रखने वाला दम्पति, सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान सरोगेट माता को होने वाली किसी विनिर्दिष्ट हानि, नुकसान, बीमारी या मृत्यु के लिए प्रतिपूर्ति करने की गारंटी प्रदान करने का वचनबंध करता है;

20 (द) "आशय रखने वाला दम्पति" से ऐसा दंपति अभिप्रेत है, जिसे चिकित्सीय रूप से अनुर्वरक दंपति प्रमाणित किया गया है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का आशय रखता है;

(ध) "सदस्य" से, यथास्थिति, राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, या किसी राज्य सरोगेसी बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(न) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

25 (प) "डिम्बाणुजनकोशिका" से किसी स्त्री के जननिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से अण्डोत्सर्गी डिम्बाणुजनकोशिका अभिप्रेत है;

(फ) "बाल रोग विशेषज्ञ" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन यथा मान्यताप्राप्त बाल रोग में कोई स्नातकोत्तर अर्हता रखता है;

30 (ब) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(भ) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता है और जिसके नाम को 35 राज्य चिकित्सीय रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है;

1994 का 57

1956 का 102

1956 का 102

1956 का 102

(म) "विनियम" से बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(य) "राज्य बोर्ड" से धारा 23 के अधीन गठित राज्य सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है;

(यक) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है; 5

(यख) "सरोगेसी" से कोई ऐसा व्यवहार अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई स्त्री किसी आशय रखने वाले दम्पति के बालक को इस आशय के साथ अपने गर्भ में रखती है और उसे जन्म देती है कि वह जन्म के पश्चात् ऐसे बालक को आशय रखने वाले दम्पति को सौंप देगी; 10

(यग) "सरोगेसी क्लीनिक" से ऐसा सरोगेसी क्लीनिक या केन्द्र या प्रयोगशाला, जहां सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी सेवाओं, इनविट्रो निषेचन सेवाओं का संचालन किया जाता है, जननिक संबंधी परामर्श केन्द्र, सरोगेसी प्रक्रिया का संचालन करने वाली जननिक प्रयोगशाला, सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी बैंक या कोई नैदानिक स्थापन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जहां किसी भी रूप में सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है; 15

(यघ) "सरोगेसी प्रक्रियाओं" से ऐसी सभी स्त्री रोग संबंधी या प्रासविक या चिकित्सीय प्रक्रियाएं, तकनीकें, परीक्षण, व्यवहार या सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनमें सरोगेसी में मानवीय युग्मकों और मानवीय भ्रूण के संबंध में कार्यवाही करना अंतर्लित है; 20

(यड) "सरोगेट माता" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो सरोगेसी के माध्यम से उसके गर्भ में भ्रूण का आरोपण करके ऐसा बालक धारण कर रही है जो आनुवंशिक रूप से किसी आशय रखने वाले दम्पति से सम्बंधित है और जो धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ख) में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करती है;

(यच) "युग्मनज" से प्रथम कोशिका विभाजन से पूर्व निषेचित 25 डिम्बाणुजनकोशिका अभिप्रेत है ।

## अध्याय 2

### सरोगेसी क्लीनिकों का विनियमन

3. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही-

(i) कोई सरोगेसी क्लीनिक, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा या उनसे सहयुक्त नहीं होगा या किसी भी रीति में उनसे संबंधित क्रियाकलापों के संचालन में सहायता नहीं करेगा; 30

(ii) कोई सरोगेसी क्लीनिक, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रूप में 35

वाणिज्यिक सरोगेसी का संचालन, उसकी प्रस्थापना नहीं करेगा, हाथ में नहीं लेगा, उसका संवर्धन नहीं करेगा या उससे सहयुक्त नहीं होगा या उसका फायदा नहीं उठाएगा;

(iii) कोई सरोगेसी क्लीनिक ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा या  
5 नियोजित नहीं करवाएगा या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं करेगा, चाहे वह अवैतनिक आधार पर हो या संदाय पर, जिसके पास विहित की जाने वाली अर्हताएं नहीं हैं;

(iv) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के  
10 माध्यम से, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर सरोगेसी या सरोगेसी संबंधी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा या नहीं करवाएगा या उनके संचालन में सहायता नहीं करेगा;

(v) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे किसी  
15 विज्ञापन का संवर्धन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार नहीं करेगा या उसका संवर्धन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार या विज्ञापन नहीं करवाएगा,--

(क) जिसका उद्देश्य किसी स्त्री को सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना हो या जिससे किसी स्त्री के इस प्रकार अभिप्रेरित होने की संभावना हो;

20 (ख) जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के लिए किसी सरोगेसी क्लीनिक का संवर्धन करना या साधारण रूप से वाणिज्यिक सरोगेसी का संवर्धन करना हो;

(ग) जो किसी स्त्री को सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए ईप्सित हो या ईप्सित करने का उद्देश्य रखता हो;

25 (घ) जो यह कथन करता हो या जिसमें यह अंतर्निहित हो कि कोई स्त्री सरोगेट माता बनने के लिए इच्छुक है; या

(ङ) जो मुद्रण या इलैक्ट्रानिक मीडिया या किसी अन्य रूप में वाणिज्यिक सरोगेसी का विज्ञापन करता हो;

(vi) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी, आशय रखने वाला दम्पति या  
30 कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी की अवधि के दौरान, सरोगेट माता की लिखित सहमति के बिना और संबद्ध समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उस संबंध में प्राधिकार के बिना गर्भपात नहीं करेगा या करवाएगा :

35 परंतु समुचित प्राधिकारी का प्राधिकरण गर्भपात का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन रहते हुए और उसके उपबंधों की अनुपालना में होगा ;



(vii) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण वैज्ञानिक, आशय रखने वाला दम्पति या कोई अन्य व्यक्ति, सरोगेसी के प्रयोजन के लिए किसी मानव भ्रूण या युग्मक का भंडारण नहीं करेगा :

परंतु यह कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे भंडारण को अन्य विधिक प्रयोजनों जैसे शुक्राणु बैंक, आईवीएफ और चिकित्सीय अनुसंधान को ऐसी अवधि और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रभावित नहीं करेगी ।

### अध्याय 3

#### सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन

4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही-

(i) किसी व्यक्ति द्वारा सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए, खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय किसी स्थान का, जिसके अंतर्गत कोई सरोगेसी क्लीनिक भी है, उपयोग नहीं किया जाएगा या नहीं कराया जाएगा और ऐसा उपयोग खंड (iii) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा;

(ii) निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय किसी सरोगेसी या किन्हीं सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं किया जाएगा, उन्हें हाथ में नहीं लिया जाएगा, निष्पादन नहीं किया जाएगा या उनका फायदा नहीं उठाया जाएगा, अर्थात् :-

(क) जब दम्पति में से कोई एक या दोनों सदस्य साबित अनुर्वरता से पीड़ित हैं ;

(ख) जब वह केवल स्वार्थहीन सरोगेसी के प्रयोजनों के लिए है;

(ग) जब वह किन्हीं वाणिज्यिक प्रयोजनों या सरोगेसी अथवा सरोगेसी प्रक्रियाओं के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं है;

(घ) जब वह विक्रय, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य रूप में शोषण के लिए बालकों को उत्पन्न करने के लिए नहीं है; और

(ङ) ऐसी कोई अन्य स्थिति या रोग, जिसे बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(iii) कोई सरोगेसी या कोई सरोगेसी प्रक्रियाएं तब तक संचालित नहीं की जाएंगी, हाथ में नहीं ली जाएंगी, निष्पादित या आरंभ नहीं की जाएंगी, जब तक कि सरोगेसी क्लीनिक के निदेशक या प्रभारी और ऐसा करने के लिए अर्हित व्यक्ति का लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया है, अर्थात् :-

(क) आशय रखने वाले दम्पति के पास, समुचित प्राधिकारी द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाने पर कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया है, जारी अनिवार्यता का प्रमाणपत्र है,

अर्थात् :-

(I) आशय रखने वाले दम्पति के किसी एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से साबित अनुर्वरता का प्रमाणपत्र है ।

5 **स्पष्टीकरण**—इस मद के प्रयोजनों के लिए, "जिला चिकित्सीय बोर्ड" पद से किसी जिले के मुख्य चिकित्सीय अधिकारी या प्रधान सिविल शल्य चिकित्सक या स्वास्थ्य सेवा संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता के अधीन कोई चिकित्सीय बोर्ड अभिप्रेत है, जो कम से कम दो अन्य विशेषज्ञों, अर्थात् जिले के मुख्य स्त्री रोग विशेषज्ञ या प्रसूति विशेषज्ञ और मुख्य बाल रोग विशेषज्ञ से मिलकर बनेगा;

10 (II) सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बालक की जनकता और उसकी अभिरक्षा से संबंधित कोई आदेश प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के या उससे ऊपर के विधि के न्यायालय द्वारा, आशय रखने वाले दम्पति और सरोगेट माता द्वारा आवेदन किए जाने पर पारित किया गया है;

15 (III) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी बीमा कंपनी या बीमा अभिकर्ता से सरोगेट माता के पक्ष में ऐसी रकम का बीमा कवर, जो विहित की जाए;

(ख) सरोगेट माता के पास, समुचित प्राधिकारी द्वारा, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने पर, जारी अनिवार्यता का प्रमाणपत्र है, अर्थात् :-

20 (I) ऐसी स्त्री के सिवाय, जो कभी विवाहित स्त्री रही हो, जिसका स्वयं का बालक हो और आरोपण के दिवस को जिसकी आयु पच्चीस वर्ष से पैंतीस वर्ष के बीच हो, कोई स्त्री सरोगेट माता नहीं बनेगी या अपने डिम्ब या डिम्बाणुजनकोशिका का संदान करके या अन्यथा सरोगेसी में सहायता नहीं करेगी;

25 (II) आशयित युगल से भिन्न कोई व्यक्ति सरोगेट माता के रूप में कार्य नहीं करेगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ;

30 (III) कोई स्त्री अपने जीवन काल में एक बार के सिवाय सरोगेट माता के रूप में कार्य नहीं करेगी या किसी भी तरह से युग्मक या गर्भधारण करके सरोगेसी में सहायता नहीं करेगा :

परंतु सरोगेट माता के संबंध में सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने हेतु प्रयासों की संख्या वह होगी जो विहित की जाए;

35 (IV) सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सीय और मनोविज्ञानी स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र;

(ग) समुचित प्राधिकारी द्वारा आशय रखने वाले दम्पति को

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पृथक् रूप से पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है :-

(I) आशय रखने वाले दम्पति में स्त्री सदस्य की दशा में उसकी आयु प्रमाणन की तारीख को 23 से 50 वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में उसकी आयु 26 से 55 वर्ष के बीच है; 5

(II) आशय रखने वाला दम्पति कम से कम पांच वर्ष से विवाहित हैं और भारतीय नागरिक है ;

(III) आशय रखने वाले दम्पति का जैविक रूप से या गोद लेने के माध्यम से या सरोगेसी के माध्यम से पूर्व में कोई जीवित बालक नहीं था : 10

परंतु इस मद में अंतर्विष्ट कोई बात आशय रखने वाले दंपति को प्रभावित नहीं करेगी जिनका बालक है और वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निःशक्त है या वह किसी संतर्जक विषमता से पीड़ित है या उसे कोई घातक रोग है जिसका कोई स्थायी उपचार नहीं है तथा जिसका समुचित प्राधिकारी द्वारा जिला चिकित्सा बोर्ड से सम्यक् 15 चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा अनुमोदन किया गया है;

(IV) ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

सरोगेसी का प्रतिषेध ।

5. कोई भी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी सरोगेट माता का कोई नातेदार या पति या आशय रखने वाले दम्पति का कोई नातेदार भी है, धारा 4 के खंड (ii) में निर्दिष्ट 20 प्रयोजन के सिवाय उस पर कोई सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाएं करने की ईप्सा नहीं करेगा या उसे प्रोत्साहन नहीं देगा ।

सरोगेट माता की लिखित जागरूक सहमति ।

6. कोई भी व्यक्ति तब तक सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा जब तक कि—

(i) उसने संबद्ध सरोगेट माता को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात दुष्प्रभावों और 25 पश्चातवर्ती प्रभावों को स्पष्ट न कर दिया हो;

(ii) उसने विहित प्ररूप में, ऐसी प्रक्रियाएं करने के लिए सरोगेट माता की लिखित जागरूक सहमति ऐसी भाषा में, जिसे वह समझती हो, प्राप्त न कर ली हो ।

सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक का परित्याग करने का प्रतिषेध ।

7. आशय रखने वाला दंपति सरोगेसी प्रक्रिया से उत्पन्न बालक का, चाहे कोई भी 30 कारण हों, जिसके अंतर्गत कोई आनुवांशिक दोष, जन्म से ही दोष, कोई अन्य चिकित्सा स्थिति, पश्चातवर्ती उत्पन्न होने वाले दोष, बालक का लिंग या एक से अधिक बालकों का गर्भ धारण और और सदृश शामिल है किंतु उन तक ही सीमित नहीं है, चाहे भारत में या भारत से बाहर, परित्याग नहीं करेगा :

परंतु यह कि सरोगेसी प्रक्रिया से उत्पन्न किसी बालक को आशय रखने वाले दंपति 35 का जैविक बालक समझा जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के

अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा ।

8. सरोगेसी के प्रयोजन के लिए सरोगेट माता में अधिरोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजनकोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या वह होगी, जो विहित की जाए ।

आरोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजनकोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या ।

5 9. कोई भी व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लीनिक, प्रयोगशाला या किसी प्रकार का नैदानिक स्थापन, किसी सरोगेट माता को, ऐसी शर्तों के, जो विहित की जाएं, सिवाय सरोगेसी के किसी भी प्रक्रम पर गर्भपात करने के लिए मजबूर नहीं करेगा ।

गर्भपात का प्रतिषेध ।

#### अध्याय 4

### सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण

10 10. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक सरोगेसी कारित करने या किसी भी रूप में सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने के लिए किसी सरोगेसी क्लीनिक की स्थापना नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा क्लीनिक इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो ।

सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

15 15. (3) ऐसा प्रत्येक सरोगेसी क्लीनिक, जो या तो आंशिक रूप में या अनन्य रूप से धारा 4 के खंड (ii) में निर्दिष्ट सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन कर रहा है, समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

20 परंतु ऐसा सरोगेसी क्लीनिक, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के अवसान पर ऐसा परामर्श देना और प्रक्रियाएं करना तब तक बंद कर देगा, जब तक कि ऐसे क्लीनिक ने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न किया हो और इस प्रकार पृथक् रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो गया हो या जब तक कि उसके आवेदन का निपटारा न कर दिया गया हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

25 (4) इस अधिनियम के अधीन किसी सरोगेसी क्लीनिक को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि समुचित प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा क्लीनिक ऐसी प्रसुविधाएं प्रदान करने और ऐसे उपस्कर और मानक, जिनके अंतर्गत विहित की जाने वाली जनशक्ति, भौतिक अवसंरचना और नैदानिक प्रसुविधाएं भी हैं, बनाए रखने की स्थिति में है ।

30 11. (1) समुचित प्राधिकारी, कोई जांच करने के पश्चात्, तथा स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, ऐसे प्ररूप, ऐसी फीस के संदाय पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर सरोगेसी क्लीनिक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।

35 (2) जहां कोई जांच करने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी अपेक्षाओं का

अनुपालन नहीं किया है, वहां वह लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को नामंजूर करेगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उसे ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, नवीकृत किया जाएगा। 5

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को सरोगेसी क्लीनिक द्वारा किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

12. (1) समुचित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या कोई शिकायत प्राप्त होने पर, किसी सरोगेसी क्लीनिक को इस बात का कारण बताने के लिए कोई सूचना जारी कर सकेगा कि सूचना में उल्लिखित कारणों से उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 10

(2) यदि सरोगेसी क्लीनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसी किसी दांडिक कार्रवाई, जो वह ऐसे क्लीनिक के विरुद्ध कर सकेगा, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगा। 15

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित प्राधिकारी की राय यह है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारणों को लिखित में लेखबद्ध करके, उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी किए बिना सरोगेसी क्लीनिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा। 20

13. सरोगेसी क्लीनिक, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 12 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा,— 25

(क) राज्य सरकार, जहां कोई अपील राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध की जाती है;

(ख) केन्द्रीय सरकार, जहां अपील किसी संघ राज्यक्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध की जाती है।

## अध्याय 5

30

### राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड

14. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड के नाम से जात होगा और जो अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(2) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

35

(क) स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, पदेन;

रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित किया जाना।

अपील।

राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन।

(ख) सरोगेसी से संबंधित मामलों में कार्य करने वाले भारत सरकार के विभाग का प्रभारी सचिव, उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) तीन महिला संसद् सदस्य, जिनमें से दो का निर्वाचन लोक सभा द्वारा और एक का निर्वाचन राज्य सभा द्वारा किया जाएगा, सदस्य, पदेन;

5 (घ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, अर्थात् महिला और बाल कल्याण विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और गृह मंत्रालय से तीन सदस्य, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे के न हों, सदस्य, पदेन;

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक, सदस्य, पदेन;

10 (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जानी वाली रीति में निम्नलिखित प्रत्येक में से दो नियुक्त किए जाने वाले दस विशेषज्ञ सदस्य—

(i) सुविख्यात चिकित्सीय जननिक विज्ञानी या मानव भ्रूण विज्ञानी;

(ii) सुविख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ या स्त्री रोग अथवा प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ;

(iii) सुविख्यात समाज विज्ञानी;

15 (iv) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि; और

(v) महिलाओं के स्वास्थ्य और बाल संबंधी विषयों पर कार्य करने वाले सिविल सोसाइटी से प्रतिनिधि,

जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए;

20 (छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का चक्रानुक्रम से प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य बोर्डों के चार अध्यक्ष, दो वर्णानुक्रमिक क्रम और दो विलोम वर्णानुक्रमिक क्रम में, सदस्य, पदेन;

(ज) केन्द्रीय सरकार का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सरोगेसी विभाग का प्रभारी हो, जो सदस्य सचिव, पदेन होगा ।

25 15. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि निम्नानुसार होगी—

सदस्यों की पदावधि ।

(क) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्देशन की दशा में तीन वर्ष :

30 परंतु ऐसे सदस्य की पदावधि उस समय तुरंत समाप्त हो जाएगी, जैसे ही वह सदस्य कोई मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री या लोक सभा की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा की उपसभापति बनती है या वह उस सदन की, जहां से वह निर्वाचित हुई थी, सदस्य नहीं रह जाती है; और

(ख) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में एक वर्ष:

परन्तु इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु वह होगी जो विहित की जाए ।

(2) पद में, किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र या बीमारी अथवा किसी अन्य अक्षमता के कारण कृत्यों के निर्वहन में असमर्थता के कारण होने वाली किसी रिक्ति को ऐसी रिक्ति होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली नई नियुक्ति से भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य, उस व्यक्ति के, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, शेष बची पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं ।

बोर्ड की बैठकें ।

16. (1) बोर्ड ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार (जिनके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं: 10

परन्तु बोर्ड छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा ।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करेगा । 15

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो बोर्ड की किसी बैठक में उसके समक्ष आते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा । 20

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्ययों की प्राप्ति होगी ।

रिक्तियों आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

17. बोर्ड की कोई कार्रवाई या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है अथवा उसके गठन में कोई दोष है; या 25

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष है; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरहता ।

18. (1) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए और सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरहित होगा और यदि— 30

(क) उसे दिवालिया के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 35

अक्षम हो गया है; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

5 (ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है; या

(च) वह सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ का व्यवसायरत सदस्य या पदधारी है और उसके ऐसे वित्तीय या अन्य हित हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

10 (छ) वह सरोगेसी या अनुर्वरता में वाणिज्यिक हित रखने वाले किसी वृत्तिक निकाय का पदधारी, प्रधान है या उसका प्रतिनिधित्व करता है ।

(2) धारा 14 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य को, केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे आदेश जिसे उसके कदाचार या अक्षमता के आधार पर जारी किया हो के सिवाय, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा, जिसे केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की गई हो या लंबित हो, उस समय तक निलंबित कर सकेगी, जब तक कि जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आदेश पारित न कर दिया जाए ।

20 19. (1) बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, किसी व्यक्ति को सहयुक्त कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह की उसे अधिनियम के किसी भी उपबंध को पूरा करने के लिए वांछा हो ।

(2) बोर्ड के साथ उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए सहयुक्त किए गए व्यक्ति को सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे बोर्ड के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा ।

20. बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और बोर्ड द्वारा जारी सभी अन्य लिखतों को बोर्ड के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

30 21. सेवा के यथा विहित अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति सदस्य न रह जाने पर ऐसे सदस्य के रूप में पुनःनियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य दो लगातार पदावधियों के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

22. बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

35 (क) सरोगेसी से संबंधित नीतिगत विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

विशेष प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त होना ।

बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।

सदस्य की पुनःनियुक्ति के लिए पात्रता ।

बोर्ड के कृत्य ।



(ख) अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मानीटर करना तथा उनमें परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ;

(ग) सरोगेसी क्लीनिकों में कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा पालन करने के लिए आचार संहिता अधिकथित करना ; सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा नियोजित किए जाने के लिए भौतिक अवसंरचना प्रयोगशाला और नैदानिकों उपस्करों तथा विशेषज्ञ जनशक्ति के लिए न्यूनतम मानक अधिकथित करना ;

(घ) अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्यपालन की निगरानी करना और उनके प्रभावी कार्यपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाना ;

(ङ) राज्य सरोगेसी बोर्डों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना; और

(च) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं ।

23. (1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र जिसका विधान-मंडल है, यथास्थिति, राज्य सरोगेसी बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात बोर्ड का गठन करेगा और जो निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

(i) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कार्य कर रहे समुचित प्राधिकारियों के कार्यकलापों का पुनर्विलोकन करना और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की सिफारिश करना ;

(ii) अधिनियम, नियम और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा बोर्ड को उनसे संबंधित समुचित सिफारिशें करना ;

(iii) अधिनियम के अधीन राज्य में किए गए विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में यथा विहित की जाने वाली ऐसी समेकित रिपोर्टें बोर्ड और केन्द्रीय सरकार को भेजना ; और

(iv) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं ।

24. राज्य बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--

(क) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रभारी सचिव, उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, विधि और न्याय तथा गृह कार्य विभागों के प्रभारी सचिव या आयुक्त या उनके नामनिर्देशिनी, सदस्य, पदेन ;

(घ) राज्य सरकारों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महानिदेशक, सदस्य, पदेन ;

(ङ) राज्य विधान सभा या संघ राज्यक्षेत्र विधान परिषद् की तीन महिला सदस्य, सदस्य, पदेन ;

राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन ।

राज्य बोर्ड की संरचना ।

(च) राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित प्रत्येक में से दो नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस विशेषज्ञ सदस्य--

- 5 (i) विख्यात चिकित्सा आनुवंशिक विज्ञानी या मानव भ्रूण विज्ञानी ;  
 (ii) विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विज्ञानी या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ ;  
 (iii) विख्यात समाज विज्ञानी ;  
 (iv) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि ; और  
 (v) महिला स्वास्थ्य और बालक विषयों पर कार्य कर रही सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि,

10 जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों जो विहित किए जाएं ।

(छ) महिला कल्याण का प्रभारी राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का कोई अधिकारी, जो पदेन सदस्य सचिव, होगा ।

25. (1) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि,--

सदस्यों की पदावधि ।

(क) धारा 24 के खंड (ड) के अधीन नामनिर्देशन की दशा में तीन वर्ष होगी :

15 परंतु ऐसे सदस्य की पदावधि, उसके मंत्री या उपमंत्री या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति या उप सभापति बनते ही या उस सदन का सदस्य न रहने पर जिससे उसका चयन किया गया था, तुरंत समाप्त हो जाएगी ; और

(ख) धारा 24 के खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में एक वर्ष होगी :

20 परंतु इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु वह होगी जो विहित की जाए ।

(2) मृत्यु, त्यागपत्र या रोग या अन्य अक्षमता के कारण कर्तव्यों का निर्वहन करने में उसकी असमर्थता के कारण हुई पद की रिक्ति को, रिक्ति होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार 25 नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति की शेष अवधि के लिए जिसके स्थान पर उसकी इस प्रकार नियुक्ति की गई थी, पद धारण करेगा ।

(3) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं ;

30 26. (1) राज्य बोर्ड ऐसे स्थानों और समय पर अधिवेशन करेगा और उसके अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा (जिसके अंतर्गत उसके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए :

बोर्ड के अधिवेशन ।

परंतु राज्य बोर्ड चार मास में कम से कम एक अधिवेशन करेगा ;

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से

अध्यक्ष राज्य बोर्ड के अधिवेशन में भाग लेने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष राज्य बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) राज्य बोर्ड के किसी अधिवेशन में उसके समक्ष आने वाले प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का दूसरा या 5 निर्णायक मत होगा और वह उसका उपयोग करेगा ।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य राज्य बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्यय को प्राप्त करेंगे ।

27. राज्य बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि-- 10

(क) राज्य बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) राज्य बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं कर रही है । 15

28. (1) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने और सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा यदि वह,--

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या 20

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर 25 बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है ; या

(च) सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगम का व्यवसायरत सदस्य या पदधारी है जिसका वित्तीय या अन्य हित है जिससे उसके सदस्य के रूप में कृत्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(छ) सरोगेसी या अनुर्वरता में कोई वाणिज्यिक हित रखने वाले किसी 30 व्यवसायिक निकाय का पदधारी, जो उसकी अध्यक्षता या प्रतिनिधित्व करता है ।

(2) धारा 24 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों को सिवाय उसके साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार के उसके पद से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार

रिक्तियों आदि का राज्य बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता ।

द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसरण में की गई जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि सदस्य को पद से हटाया जाना चाहिए, पद से नहीं हटाया जाएगा।

5 (3) राज्य सरकार किसी सदस्य को जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की गई है या लंबित है राज्य सरकार द्वारा जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई आदेश पारित करने तक, निलंबित कर सकेगी।

29. (1) राज्य बोर्ड स्वयं के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के किसी उपबंध को पूरा करने के लिए वांछा करे, सहयुक्त कर सकेगा।

राज्य बोर्ड के साथ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त होना।

10 (2) उपधारा (1) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा उसके साथ सहयुक्त व्यक्ति को सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे राज्य बोर्ड के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

15 30. राज्य बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और राज्य बोर्ड द्वारा जारी सभी अन्य लिखतों को सदस्य सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

राज्य बोर्ड के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन।

31. सेवा के यथा विहित अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति सदस्य न रह जाने पर ऐसे सदस्य के रूप में पुनःनियुक्ति का पात्र होगा:

सदस्यों की पुनःनियुक्ति के लिए पात्रता।

परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य दो लगातार पदावधियों के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा।

20

## अध्याय 6

### समुचित प्राधिकारी

32. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति।

25 (2) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन समुचित प्राधिकारी--

30 (क) जब संपूर्ण राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाएं, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,--

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव या उससे उपर के रैंक का कोई अधिकारी--अध्यक्ष;

(ii) महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई विख्यात महिला--

सदस्य;

(iii) राज्य विधि विभाग या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र का उप सचिव से अन्यून रैंक का कोई अधिकारी--सदस्य; और

(iv) एक विख्यात रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी- सदस्य :

परंतु उनमें होने वाली किसी रिक्ति को, रिक्ति होने के एक मास के भीतर भरा जाएगा; 5

(ख) जब राज्य के किसी भाग या संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किया जाता है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार जैसा उचित समझें ऐसे अन्य रैंक के अधिकारी होंगे ।

33. समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :- 10

(क) किसी सरोगेसी क्लीनिक को रजिष्ट्रीकरण अनुदत्त करना, निलंबित करना या रद्द करना ;

(ख) सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा पूरे किए जाने वाले मानकों को लागू करना;

(ग) इस अधिनियम, तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के भंग करने की शिकायतों का अन्वेषण करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिक कार्रवाई करना ; 15

(घ) स्वप्रेरणा से या जानकारी में लाए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा विहित स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर सरोगेसी का उपयोग करने के विरुद्ध समुचित विधिक कार्रवाई करना और ऐसी रीति में स्वतंत्र अन्वेषण भी प्रारंभ करना ; 20

(ङ) इस अधिनियम, नियमों और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

(च) बोर्ड और राज्य बोर्डों को प्रौद्योगिकी या सामाजिक स्थितियों में परिवर्तनों के अनुसार नियमों और विनियमों में अपेक्षित उपांतरणों के बारे में सिफारिश करना ; 25

(छ) सरोगेसी क्लीनिकों के विरुद्ध उसे प्राप्त शिकायतों पर अन्वेषण करने के पश्चात् कार्रवाई करना ; और

(ज) धारा 3 के खंड (vi) और धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (क) से उपखंड (ग) के अधीन किसी आवेदन पर विचार करेगा और उसे अनुदत्त या अस्वीकार करेगा । 30

34. (1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के संबंध में शक्तियों का उपयोग करेगा, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना जिसके पास इस अधिनियम, नियमों और तदधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई जानकारी है;

(ख) खंड (क) से संबंधित किसी दस्तावेज या तात्विक वस्तु को उपस्थित 35

समुचित प्राधिकारी के कृत्य ।

समुचित प्राधिकारी की शक्तियां ।

करना;

(ग) किसी ऐसे स्थान की तलाशी लेना जिसकी इस अधिनियम, नियमों और तदधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघनों का संदेह है; और

(घ) कोई अन्य शक्तियां जो विहित की जाएं ।

- 5 (2) समुचित प्राधिकारी सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, आशय रखने वाले दम्पति और सरोगेट माताओं को प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या सरोगेसी क्लीनिकों को अनुज्ञप्ति आदि अनुदत्त करने से संबंधित अन्य विषयों के ब्यौरों को ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, बनाए रखेगा ।

## अध्याय 7

10

### अपराध और शास्तियां

35. (1) कोई व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लीनिक, या किसी प्रकार की प्रयोगशाला या स्थापन--

- 15 (क) वाणिज्यिक सरोगेसी नहीं करेगा, वाणिज्यिक सरोगेसी या उससे संबंधित संघटक प्रक्रियाएं या किसी भी रूप में सेवाएं प्रदान नहीं करेगा या सरोगेट माताओं को पैनलीकृत करने या उनका चयन करने के लिए कोई रैकेट या संगठित समूह नहीं चलाएगा या व्यष्टिक दलालों या मध्यवर्तियों का सरोगेट माताओं का प्रबंध करने के लिए और सरोगेसी प्रक्रियाओं का ऐसे क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं या किसी अन्य स्थान पर उपयोग नहीं करेगा;

- 20 (ख) वाणिज्यिक सरोगेसी के संबंध में किसी भी माध्यम से चाहे वैज्ञानिक या अन्यथा कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं करेगा, वितरित नहीं करेगा या जारी करना, प्रकाशित करना या वितरित करना या संसूचित करना कारित नहीं करेगा ;

- 25 (ग) सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक या बालकों को परित्यक्त या अस्वीकार नहीं करेगा या उनका शोषण नहीं करेगा या परित्यक्त करना, उनका शोषण करना या उनको अस्वीकार करना कारित नहीं करेगा;

(घ) सरोगेट माता या बालक का चाहे कोई भी रीति हो, शोषण नहीं करेगा या शोषण करना कारित नहीं करेगा;

- 30 (ङ) सरोगेसी के प्रयोजन के लिए मानव भ्रूण या युग्मकों का विक्रय नहीं करेगा और सरोगेसी के प्रयोजन के लिए मानव भ्रूणों या युग्मकों के विक्रय, क्रय या व्यापार के लिए कोई अभिकरण, रैकेट या संगठन नहीं चलाएगा ;

(च) किसी भी रीति में मानव भ्रूणों या मानव युग्मकों का सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं के लिए आयात नहीं करेगा या आयात करने में सहायता नहीं करेगा ।

- 35 (2) भारतीय दंड संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) के उपबंधों का उल्लंघन अपराध होगा जो कारावास

वाणिज्यिक सरोगेसी, सरोगेट माताओं और सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालकों के शोषण का प्रतिषेध ।

की ऐसी अवधि से जो दस वर्ष से अन्यून होगी और जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विज्ञापन" पद में कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या कोई अन्य दस्तावेज सम्मिलित है जिसके अंतर्गत इंटरनेट या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी या प्रिंट में विज्ञापन सम्मिलित है और इसके अंतर्गत 5 किसी होर्डिंग, वाल पेंटिंग, सिग्नल लाइट, ध्वनि, धूप या गैस के साधन से कोई दृश्य प्रस्तुति सम्मिलित है ।

अधिनियम के  
उपबंधों के  
उल्लंघन के लिए  
दंड ।

**36.** (1) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके स्वामित्वाधीन कोई सेरोगेसी क्लीनिक है या वह ऐसे क्लीनिक या केन्द्र या प्रयोगशाला के साथ नियोजित है और ऐसे क्लीनिक 10 या केन्द्र या प्रयोगशाला में या उसको अपनी व्यावसायिक या तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है चाहे मानद या अन्यथा और जो इस अधिनियम (धारा 35 में निर्दिष्ट उपबंधों से भिन्न), नियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से अन्यून नहीं होगी और जुर्माने से जो दस 15 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) पश्चातवर्ती अपराध या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के जारी रहने की दशा में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नाम को समुचित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिसके अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करना भी है के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद् को रिपोर्ट किया जाएगा ।

वाणिज्यिक  
सेरोगेसी आरंभ  
करने के लिए  
दंड ।

**37.** कोई आशय रखने वाला युगल या कोई व्यक्ति जो सेरोगेसी क्लीनिक, 20 प्रयोगशाला या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्रीरोग विज्ञानी, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी या किसी अन्य व्यक्ति से वाणिज्यिक सेरोगेसी में सहायता की इच्छा करता है या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सेरोगेसी प्रक्रियाओं को संचालित करता है, पांच वर्ष से अन्यून कारावास से और जुर्माने से जो पहले अपराध के लिए पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जो दस वर्ष तक 25 का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अधिनियम और  
नियम के उपबंधों  
जिनके लिए कोई  
विनिर्दिष्ट दंड का  
उपबंध नहीं किया  
गया है के  
उल्लंघन के लिए  
शास्ति ।

**38.** जो कोई अधिनियम, नियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों पर उल्लंघन करता है जिनके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, कारावास की ऐसी अवधि से जो तीन वर्ष से अन्यून नहीं होगी और जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा और ऐसे उल्लंघन के लिए 30 दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन के जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

सेरोगेसी की दशा  
में उपधारणा ।

**39.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया ग या हो, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि, 35 यथास्थिति, महिला या सेरोगेट माता को उसके पति या आशय रखने वाले युगल या किसी

1872 का 1

अन्य नातेदार द्वारा सेरोगेसी सेवाएं, प्रक्रियाएं या युग्मकों का दान करने के लिए धारा 4 के खंड (ii) से भिन्न प्रयोजनों के लिए विवश किया गया है और ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरण के ऐसे अपराध के लिए धारा 37 के अधीन दायी होगा और उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा ।

1974 का 2

5

40. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय होगा ।

अपराधों का संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय होना ।

41. (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, सिवाय निम्नलिखित द्वारा की गई लिखित शिकायत के संज्ञान नहीं लेगा--

अपराधों का संज्ञान ।

10

(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी या कोई अभिकरण जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है या कोई समुचित प्राधिकारी ; या

(ख) कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत सामाजिक संगठन भी है जिसने विहित रीति में पंद्रह दिन से अन्यून अवधि की, कथित अपराध की, और न्यायालय को शिकायत करने के अपने आशय की सूचना किसी समुचित प्राधिकारी को दी है ।

15

(2) मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

1974 का 2

42. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त संहिता के अध्याय 21क के सौदा अभिवाक् से संबंधित उपबंध इस अधिनियम के अधीन अपराधों को लागू नहीं होंगे ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के कतिपय उपबंधों का लागू न होना ।

20

## अध्याय 8

### प्रकीर्ण

25

43. (1) सेरोगेसी क्लीनिक सभी अभिलेखों, चार्टों, प्ररूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों और करारों तथा इस अधिनियम के अधीन अन्य सभी दस्तावेजों को बनाए रखेगा और उन्हें पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो विहित की जाए, परिरक्षित किया जाएगा :

अभिलेखों का अनुरक्षण ।

परंतु यदि किसी सेरोगेसी क्लीनिक के विरुद्ध कोई दांडिक या अन्य कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं तो ऐसे क्लीनिक के अभिलेखों और अन्य सभी दस्तावेजों को ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटान तक परिरक्षित किया जाएगा ।

30

(2) ऐसे सभी अभिलेख सभी युक्तियुक्त समयों पर समुचित प्राधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

44. (1) यदि समुचित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किसी सेरोगेसी क्लीनिक या किसी अन्य स्थान पर कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसा प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य

अभिलेखों की तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति ।



अधिकारी ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसी सहायता सहित यदि कोई हों, जैसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, ऐसे सेरोगेसी क्लीनिक या किसी अन्य स्थान में प्रविष्ट हो सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या कोई अन्य तात्विक सामग्री जो उसमें पाई जाती है की जांच करेगा तथा उसका अभिग्रहण करेगा और उसे 5 मुहरबंद करेगा, यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां 1974 का 2 तक संभव हो, इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत 10 किसी अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को लागू होंगे ।

45. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक की गई किसी बात या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की 15 जाएगी ।

46. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

47. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । 20

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे--

(क) धारा 3 के खंड (iii) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सेरोगेसी क्लीनिक में नियोजित व्यक्तियों की न्यूनतम अर्हताएं ;

(ख) वह रीति जिसमें कोई व्यक्ति धारा 3 के खंड (vii) के अधीन मानव 25 भ्रूण या युग्मक का भंडारण करेगा;

(ग) धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (क) की मद (iii) के अधीन सेरोगेट माता के पक्ष में किसी बीमा कंपनी के बीमा कवर;

(घ) धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ख) की मद (iii) के परंतुक के अधीन सेरोगेसी या युग्मक उपलब्ध कराने के प्रयासों की संख्या; 30

(ङ) वह प्ररूप जिसमें धारा 6 के खंड (ii) के अधीन सेरोगेट माता की सहमति अभिप्राप्त की जानी है ;

(च) धारा 8 के अधीन सेरोगेट माता में रोपित किए जाने वाले डिम्बाणुज कोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या;

(छ) वे शर्तें, जिनके अधीन किसी सेरोगेट माता को धारा 9 के अधीन सेरोगेसी 35 प्रक्रिया के दौरान गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है;

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना ।

नियम बनाने की शक्ति ।

- (ज) वह प्ररूप और रीति जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाना है और धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन संदेय फीस ;
- (झ) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं, उपस्कर और रखे जाने वाले अन्य मानक ;
- 5 (ग) वह अवधि, रीति और प्ररूप, जिसमें धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ;
- (ट) वह रीति, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा और धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे नवीकरण के लिए संदेय फीस ;
- (ठ) वह रीति जिसमें धारा 13 के अधीन कोई अपील की जा सकेगी ;
- 10 (ड) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन यथा अनुज्ञेय सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ;
- (ढ) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के विरुद्ध किसी जांच का संचालन करने के लिए प्रक्रियाएं ;
- (ण) वे शर्तें, जिनके अधीन बोर्ड का कोई सदस्य धारा 21 के अधीन पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा ;
- 15 (त) धारा 22 के खंड (ड) के अधीन बोर्ड के अन्य कृत्य;
- (थ) वह रीति, जिसमें राज्य और संघ राज्यक्षेत्र बोर्डों द्वारा बोर्ड और केन्द्रीय सरकार को धारा 23 के खंड (iii) के अधीन रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी ;
- (द) धारा 23 के खंड (iv) के अधीन राज्य बोर्ड के अन्य कृत्य;
- 20 (ध) धारा 24 के खंड (च) के अधीन यथा अनुज्ञेय सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ;
- (न) धारा 24 के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी सदस्य के रूप में धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु ;
- 25 (प) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के विरुद्ध किसी जांच का संचालन करने के लिए प्रक्रियाएं ;
- (फ) वे शर्तें, जिनके अधीन राज्य बोर्ड के सदस्य धारा 31 के अधीन पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे ;
- (ब) धारा 33 के खंड (घ) के अधीन किसी अन्य विषय में समुचित प्राधिकारी को सशक्त करना ;
- 30 (भ) धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन समुचित प्राधिकारी की अन्य शक्तियां ;
- (म) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्ररूप में सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने आदि के ब्यौरों की विशिष्टियां;
- 35 (य) धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (ख) को अधीन किसी व्यक्ति द्वारा

सूचना दिए जाने की रीति;

(यक) वह अवधि जिस तक धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन अभिलेख, चार्ट आदि परिरक्षित किए जाएंगे ;

(यख) वह रीति जिसमें दस्तावेजों, अभिलेखों, वस्तुओं आदि का अभिग्रहण किया जाएगा और धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें अभिग्रहण सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी ; और 5

(यग) कोई अन्य विषय जिसके लिए इन नियमों द्वारा उपबंध किए गए हैं या किए जा सकते हैं ।

48. बोर्ड निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा-- 10

(क) ऐसी किसी अन्य शर्त का पूरा किया जाना, जिसके अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ग) की मद (iv) के अधीन पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाना है ;

(ख) बोर्ड के अधिवेशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे सदस्यों की संख्या, जो धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन गणपूर्ति करेंगे ; 15

(ग) वह रीति जिसमें किसी व्यक्ति को धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जा सकेगा ;

(घ) राज्य बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में कारबार संव्यवहार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे सदस्यों की संख्या, जो धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन गणपूर्ति करेंगे ; 20

(ङ) वह रीति, जिसमें किसी व्यक्ति को धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जा सकेगा ;

(च) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा अपेक्षित हो या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । 25

49. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 30 35

विनियम बनाने की शक्ति ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

50. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से विद्यमान सरोगेट माताओं को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दस मास की सगर्भता अवधि का उपबंध किया जाएगा ।

संक्रमणकालीन  
उपबंध ।

5 51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी :

कठिनाइयों को  
दूर करने की  
शक्ति ।

10 परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

पिछले कुछ वर्षों में भारत विभिन्न देशों के दंपतियों के लिए सरोगेसी के केंद्र के रूप में उभर कर आया है। अनैतिक व्यवहार, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से उत्पन्न बालकों के परित्याग और मानव भ्रूणों और युग्मकों के आयात की वहां सूचित घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यमों में भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी की व्यापक भर्त्सना नियमित रूप से उपदर्शित हुई है। भारत के विधि आयोग ने अपनी 228वीं रिपोर्ट में उपयुक्त विधायन के अधिनियमितीकरण के माध्यम से वाणिज्यिक सरोगेसी का प्रतिषेध करने की भी सिफारिश की है। सरोगेसी को विनियमित करने के लिए विधान की कमी के कारण सरोगेसी पद्धति का सरोगेसी क्लीनिकों ने दुरुपयोग किया है जिससे वाणिज्यिक सरोगेसी और सरोगेसी के उक्त क्षेत्र में अनैतिक व्यवहार अत्यधिक बढ़े हैं।

2. उपरोक्त के आलोक में, देश में सरोगेसी सेवाओं को विनियमित करने के लिए, सरोगेट माताओं के संभावित शोषण का प्रतिषेध करने के लिए और सरोगेसी के माध्यम से उत्पन्न बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक विधान को अधिनियमित करना अनिवार्य हो गया था।

3. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :-

(क) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्डों का गठन करना ;

(ख) तेईस से पचास वर्ष और छब्बीस से पचपन वर्ष के क्रमशः महिला और पुरुष अनुर्वर आशय रखने वाले भारतीय विवाहित दंपति को नैतिक परोपकारी सरोगेसी अनुज्ञात करना ;

(ग) आशय रखने वाले दंपति कम से कम पाँच वर्ष से विधिपूर्वक विवाहित होने चाहिए और सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने के लिए भारतीय नागरिक होने चाहिए ;

(घ) यह उपबंध करने के लिए कि आशयित दंपति सरोगेसी प्रक्रिया से उत्पन्न बालक का किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं करेंगे और सरोगेसी प्रक्रिया से उत्पन्न बालक को वह सभी अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, जो जैविक रूप से उत्पन्न बालक को उपलब्ध हैं ;

(ङ) सरोगेट माता आशय रखने वाले दंपति की निकट नातेदार होनी चाहिए और वह पहले से विवाहित महिला होनी चाहिए, जिसका स्वयं का बालक हो और उसकी आयु पच्चीस से पैंतीस वर्ष के बीच होनी चाहिए ;

(च) यह उपबंध करने के लिए कि सरोगेट माता को केवल एकबार सरोगेट माता के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ;

(छ) राष्ट्रीय स्तर पर सरोगेसी बोर्ड गठित करने के लिए, जो अधिनियम के अधीन उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निष्पादन करेगा।

राज्य और संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर सरोगेसी बोर्डों के गठन का भी प्रस्ताव है, जो संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में समान कृत्यों का निष्पादन करेंगे ;

(ज) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करना, जो अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यपालक निकाय होंगे ;

(झ) यह उपबंध करना कि क्लीनिकों को, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने के पश्चात् ही रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा कि ऐसे क्लिनिक प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं और वह उपस्करों और मानकों का, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञ जनशक्ति, भौतिक अवसंरचना और नैदानिक प्रसुविधाएं भी हैं, जो नियमों और विनियमों में उपबंधित की जाएं, का अनुरक्षण कर सकते हैं ;

(ञ) यह उपबंध करना कि कोई व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लिनिक, प्रयोगशाला या किसी भी किस्म का नैदानिक प्रतिष्ठापन वाणिज्यिक सरोगेसी, वाणिज्यिक सरोगेसी के संबंध में विज्ञापन, सरोगेसी के माध्यम से उत्पन्न बालक का परित्याग, सरोगेट माता का शोषण, मानव भ्रूण का विक्रय या सरोगेसी के प्रयोजन के लिए मानव भ्रूण का निर्यात नहीं करेगा और उक्त उपबंधों का उल्लंघन एक ऐसा अपराध होगा, जो कारावास से, जो दस वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।

4. खंडों पर टिप्पण सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को ब्यौरे से स्पष्ट करता है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;  
28 अक्टूबर, 2016

जगत प्रकाश नड्डा

## खंडों पर टिप्पण

**खंड 1**—यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है ।

**खंड 2**—इस खंड में प्रस्तावित विधान में उपयोग किए गए विभिन्न पदों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं ।

**खंड 3**—यह खंड सरोगेसी क्लीनिकों के प्रतिषेध और विनियमन से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (i) यह उपबंध करता है कि कोई सरोगेसी क्लीनिक, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा या उनसे सहयुक्त नहीं होगा या किसी भी रीति में उनसे संबंधित क्रियाकलापों के संचालन में सहायता नहीं करेगा ।

इस खंड का उपखंड (ii) यह उपबंध करता है कि कोई सरोगेसी क्लीनिक, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रूप में वाणिज्यिक सरोगेसी का संचालन, प्रस्थापना, संवर्धन नहीं करेगा या उससे सहयुक्त नहीं होगा या उसका उपभोग नहीं करेगा ।

इस खंड का उपखंड (iii) यह उपबंध करता है कि कोई सरोगेसी क्लीनिक ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा, जिसके पास ऐसी अर्हताएं नहीं हैं, जो विहित की जाएं, या नियोजित नहीं करवाएगा या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं, चाहे वह अवैतनिक आधार पर हो या संदाय पर, प्राप्त नहीं करेगा ।

इस खंड का उपखंड (iv) यह उपबंध करता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर सरोगेसी या सरोगेसी संबंधी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा या नहीं करवाएगा या उनके संचालन में सहायता नहीं करेगा ।

इस खंड का उपखंड (v) यह उपबंध करता है कि कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन का संवर्धन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार या विज्ञापन नहीं करेगा या उसका संवर्धन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार या विज्ञापन नहीं करवाएगा,—

(क) जिसका उद्देश्य किसी स्त्री को सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना हो या जिससे किसी स्त्री के इस प्रकार अभिप्रेरित होने की संभावना हो;

(ख) जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के लिए किसी सरोगेसी क्लीनिक का संवर्धन करना या साधारण रूप से वाणिज्यिक सरोगेसी का संवर्धन करना हो;

(ग) जो किसी स्त्री को सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए ईप्सित करे

या ईप्सित करने का उद्देश्य रखता हो;

(घ) जो यह कथन करता हो या जिसमें यह अंतर्निहित हो कि कोई स्त्री सरोगेट माता बनने के लिए इच्छुक है; या

(ङ) जो प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक संचार माध्यम या किसी अन्य रूप में वाणिज्यिक सरोगेसी का विज्ञापन करता हो ।

इस खंड का उपखंड (vi) यह उपबंध करता है कि कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी, आशय रखने वाला दम्पति या कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी की अवधि के दौरान, सरोगेट माता की लिखित सहमति के बिना और संबद्ध समुचित प्राधिकारी द्वारा उस संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्राधिकार के बिना गर्भपात नहीं करेगा या करवाएगा । तथापि, समुचित प्राधिकारी का प्राधिकरण गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के उपबंधों की अनुपालना के अधीन होगा ।

इस खंड का उपखंड (vii) यह उपबंध करता है कि कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी, आशय रखने वाला दम्पति या कोई अन्य व्यक्ति, सरोगेसी के प्रयोजन के लिए किसी मानव भ्रूण या युग्मक का भंडारण नहीं करेगा । तथापि, इस उपखंड में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे भंडारण को अन्य विधिक प्रयोजनों जैसे शुक्राणु बैंक, आईवीएफ और चिकित्सीय अनुसंधान को ऐसी अवधि और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रभावित नहीं करेगी ।

**खंड 4—**यह खंड सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं के विनियमन से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (i) यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए, खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय किसी स्थान का, जिसके अंतर्गत कोई सरोगेसी क्लीनिक भी है, उपयोग नहीं किया जाएगा या नहीं कराया जाएगा और ऐसा उपयोग खंड (iii) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा ।

इस खंड का उपखंड (ii) यह उपबंध करता है कि निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय किसी सरोगेसी या किन्हीं सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन, निष्पादन या उपभोग नहीं किया जाएगा, अर्थात् :-- (क) जब दम्पति में से कोई एक या दोनों सदस्य साबित अनुर्वरता से पीड़ित हैं; (ख) जब यह केवल स्वार्थहीन सरोगेसी के प्रयोजनों के लिए है; (ग) जब यह किन्हीं वाणिज्यिक प्रयोजनों या सरोगेसी अथवा सरोगेसी प्रक्रियाओं के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं है; (घ) जब यह बालकों को विक्रय, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य रूप में शोषण के लिए जन्म देने के लिए नहीं है; और (ङ) ऐसी कोई अन्य शर्त या रोग, जिसे बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

इस खंड का उपखंड (iii) यह उपबंध करता है कि कोई सरोगेसी या कोई सरोगेसी प्रक्रियाएं तब तक संचालित नहीं की जाएंगी, हाथ में नहीं ली जाएंगी, निष्पादित या आरंभ नहीं की जाएंगी, जब तक कि सरोगेसी क्लीनिक के निदेशक या प्रभारी और ऐसा करने के लिए अर्हित व्यक्ति का लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं



हो जाता है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया है, अर्थात् :-

(क) आशय रखने वाले दम्पति के पास, समुचित प्राधिकारी द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाने पर कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया है, जारी अनिवार्यता का प्रमाणपत्र है, अर्थात् :-

(I) आशय रखने वाले दम्पति में किसी एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से साबित अनुर्वरता का प्रमाणपत्र है ।

(II) दम्पति और सरोगेट माता द्वारा किए गए आवेदन पर, सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बालक की जनकता और उसकी अभिरक्षा से संबंधित कोई आदेश प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के या उससे ऊपर के विधि के न्यायालय द्वारा पारित किया गया है ;

(III) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी बीमा कंपनी या अभिकर्ता से सरोगेट माता के पक्ष में ऐसी रकम का बीमा कवर, जो विहित की जाए ।

(ख) सरोगेट माता के पास, समुचित प्राधिकारी द्वारा, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने पर, जारी अनिवार्यता का प्रमाणपत्र है, अर्थात् :-

(I) ऐसी स्त्री के सिवाय, जो कभी विवाहित स्त्री रही हो, जिसका स्वयं का बालक हो और आरोपण के दिवस को जिसकी आयु पच्चीस वर्ष से पैंतीस वर्ष के बीच हो, कोई स्त्री सरोगेट माता नहीं बनेगी या अपने डिम्ब या डिम्बाणुजनकोशिका का संदान करके या अन्यथा सरोगेसी में सहायता नहीं करेगी;

(II) आशय रखने वाले दम्पति के नजदीकी नातेदारों से भिन्न कोई स्त्री सरोगेट माता के रूप में कार्य नहीं करेगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ;

(III) कोई स्त्री अपने जीवन काल में एक बार के सिवाय सरोगेट माता के रूप में कार्य नहीं करेगी या किसी भी तरह से युग्मक या गर्भधारण करके सरोगेसी में सहायता नहीं करेगी । तथापि, सरोगेट माता के संबंध में सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने हेतु प्रयासों की संख्या वह होगी जो विहित की जाए ;

(IV) सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सीय और मनोविज्ञानी स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र;

(ग) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा पृथक् रूप से जारी किए जाने वाला आशय रखने वाले दम्पति के लिए पात्रता प्रमाणपत्र, अर्थात् :-

(I) प्रमाणिकता के दिन आशय रखने वाले दम्पति की आयु स्त्री की दशा में 23 से 50 वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में 26 से 55 वर्ष के बीच है;

(II) आशय रखने वाला दम्पति कम से कम पांच वर्ष से विवाहित हैं और भारतीय नागरिक हैं ;

(III) आशय रखने वाले दम्पति का जैविक रूप से या गोद लेने के माध्यम से या सरोगेसी के माध्यम से पूर्व में कोई बालक नहीं था 1 तथापि, इस मद में अंतर्विष्ट कोई बात आशय रखने वाले दंपति को प्रभावित नहीं करेगी जिनका बालक है और वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निःशक्त है या वह किसी संतर्जक विषमता से पीड़ित है या उसे कोई घातक रोग है जिसका कोई स्थायी उपचार नहीं है तथा जिसका समुचित प्राधिकारी द्वारा जिला चिकित्सा बोर्ड से सम्यक् चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा अनुमोदन किया गया है ;

(IV) ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

**खंड 5**—यह खंड सरोगेसी संचालन के प्रतिषेध से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी सरोगेट माता का कोई नातेदार या पति या आशय रखने वाले दम्पति का कोई नातेदार भी है, धारा 4 के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के सिवाय उस पर किसी सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं के संचालन की ईप्सा नहीं करेगा या उसे प्रोत्साहन नहीं देगा ।

**खंड 6**—यह खंड सरोगेट माता की लिखित अनुप्रमाणित सहमति से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा जब तक कि—(i) उसने संबद्ध सरोगेट माता को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात दुष्प्रभावों और पश्चातवर्ती प्रभावों को स्पष्ट न कर दिया हो; (ii) उसने विहित प्ररूप में, ऐसी प्रक्रियाएं करने के लिए सरोगेट माता की लिखित जागरूक सहमति ऐसी भाषा में, जिसे वह समझती हो, प्राप्त न कर ली हो ।

**खंड 7**—यह खंड सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक का परित्याग करने के प्रतिषेध से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि आशय रखने वाला दंपति सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बालक का, चाहे कोई भी कारण हों, जिसके अंतर्गत कोई आनुवांशिक दोष, जन्म से ही दोष, कोई अन्य चिकित्सा स्थिति, पश्चातवर्ती उत्पन्न होने वाले दोष, बालक का लिंग या एक से अधिक बालकों का गर्भ धारण और सदृश शामिल है किंतु उन तक ही सीमित नहीं है, चाहे भारत में या भारत से बाहर, परित्याग नहीं करेगा । तथापि, यह कि सरोगेसी प्रक्रिया से उत्पन्न किसी बालक को आशय रखने वाले दंपति का जैविक बालक समझा जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा ।

**खंड 8**—यह खंड अधिरोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजनकोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि सरोगेसी के प्रयोजन के लिए सरोगेट माता में अधिरोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजनकोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या वह होगी, जो विहित की जाए ।

**खंड 9**—यह खंड गर्भपात के प्रतिषेध से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लीनिक,

प्रयोगशाला या किसी प्रकार का नैदानिक स्थापन, किसी सरोगेट माता को, ऐसी शर्तों के, जो विहित की जाएं, के सिवाय सरोगेसी के किसी भी प्रक्रम पर गर्भपात करने के लिए मजबूर नहीं करेगा ।

**खंड 10**—यह खंड सरोगेसी क्लिनिक के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सरोगेसी कारित करने या किसी भी रूप में सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने के लिए किसी सरोगेसी क्लीनिक की स्थापना नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा क्लीनिक इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि ऐसा प्रत्येक सरोगेसी क्लीनिक, जो या तो आंशिक रूप में या अनन्य रूप से धारा 4 के खंड (ii) में निर्दिष्ट सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन कर रहा है, समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा । तथापि, ऐसा सरोगेसी क्लीनिक, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के अवसान पर ऐसा परामर्श देना और प्रक्रियाएं करना तब तक बंद कर देगा, जब तक कि ऐसे क्लीनिक ने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न किया हो और इस प्रकार पृथक् रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो गया हो या जब तक कि उसके आवेदन का निपटारा न कर दिया गया हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

इस खंड का उपखंड (4) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी सरोगेसी क्लीनिक को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि समुचित प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा क्लीनिक ऐसी प्रसुविधाएं प्रदान करने और ऐसे उपस्कर और मानक, जिनके अंतर्गत विहित की जाने वाली जनशक्ति, भौतिक अवसंरचना और नैदानिक प्रसुविधाएं भी हैं, बनाए रखने की स्थिति में है ।

**खंड 11**—यह खंड रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि समुचित प्राधिकारी, कोई जांच करने के पश्चात्, तथा स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, ऐसे प्ररूप, ऐसी फीस के संदाय पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर सरोगेसी क्लीनिक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि जहां कोई जांच करने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, वहां वह लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को नामंजूर करेगा ।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उसे ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, नवीकृत किया जाएगा ।

इस खंड का उपखंड (4) यह उपबंध करता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को सरोगेसी क्लीनिक द्वारा किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

**खंड 12**—यह खंड रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि समुचित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या कोई शिकायत प्राप्त होने पर, किसी सरोगेसी क्लीनिक को इस बात का कारण बताने के लिए कोई सूचना जारी कर सकेगा कि सूचना में उल्लिखित कारणों से उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि यदि सरोगेसी क्लीनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसी किसी दांडिक कार्रवाई, जो वह ऐसे क्लीनिक के विरुद्ध कर सकेगा, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगा ।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि खंड 12 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित प्राधिकारी की राय यह है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारणों को लिखित में लेखबद्ध करके, उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी किए बिना सरोगेसी क्लीनिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा ।

**खंड 13**—यह खंड अपील से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि सरोगेसी क्लीनिक, समुचित प्राधिकारी द्वारा खंड 12 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा,—(क) राज्य सरकार, जहां कोई अपील राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध की जाती है ; (ख) केन्द्रीय सरकार, जहां अपील किसी संघ राज्यक्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध की जाती है ।

**खंड 14**—यह खंड राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड के गठन से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा और जो अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, पदेन ; (ख) सरोगेसी से संबंधित मामलों में कार्य करने वाले भारत सरकार के विभाग का प्रभारी

सचिव, उपाध्यक्ष, पदेन ; (ग) तीन महिला संसद् सदस्य, जिनमें से दो का निर्वाचन लोक सभा द्वारा और एक का निर्वाचन राज्य सभा द्वारा किया जाएगा, सदस्य, पदेन ; (घ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, अर्थात् महिला और बाल कल्याण विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और गृह मंत्रालय से तीन सदस्य, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे के न हों, सदस्य, पदेन ; (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक, सदस्य, पदेन ; (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जानी वाली रीति में निम्नलिखित प्रत्येक में से दो नियुक्त किए जाने वाले दस विशेषज्ञ सदस्य—(i) सुविख्यात चिकित्सीय जननिक विज्ञानी या मानव भ्रूण विज्ञानी ; (ii) सुविख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ या स्त्री रोग अथवा प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ ; (iii) सुविख्यात समाज विज्ञानी ; (iv) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि ; और (v) महिलाओं के स्वास्थ्य और बाल संबंधी विषयों पर कार्य करने वाले सिविल सोसाइटी से प्रतिनिधि, जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए ; (छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का चक्रानुक्रम से प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य बोर्डों के चार अध्यक्ष, दो वर्णानुक्रमिक क्रम और दो विलोम वर्णानुक्रमिक क्रम में, सदस्य, पदेन ; (ज) केन्द्रीय सरकार का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सरोगेसी प्रभाग का प्रभारी हो, जो सदस्य सचिव, पदेन होगा ।

**खंड 15**—यह खंड सदस्यों की पदावधि से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि निम्नानुसार होगी—(क) लोक सभा की तीन महिला सदस्यों के नामनिर्देशन की दशा में तीन वर्ष । तथापि, परंतु ऐसे सदस्य की पदावधि उस समय तुरंत समाप्त हो जाएगी, जैसे ही वह सदस्य कोई मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री या लोक सभा की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा की उपसभापति बनती है या वह उस सदन की, जहां से वह निर्वाचित हुई थी, सदस्य नहीं रह जाती है ; (ख) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में एक वर्ष । तथापि, इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु वह होगी जो विहित की जाए ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि पद पर, किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी अथवा किसी अन्य अक्षमता के कारण कृत्यों के निर्वहन में असमर्थता के कारण होने वाली किसी रिक्ति को ऐसी रिक्ति होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली नई नियुक्ति से भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य, उस व्यक्ति के, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, शेष बची पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं ।

**खंड 16**—यह खंड बोर्ड की बैठकों से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि बोर्ड ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार (जिनके अंतर्गत उसकी बैठकों की

गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं। तथापि, बोर्ड छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि ऐसे सभी प्रश्नों का, जो बोर्ड की किसी बैठक में उसके समक्ष आते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

इस खंड का उपखंड (4) यह उपबंध करता है कि पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्ययों की प्राप्ति होगी।

**खंड 17**—यह खंड रिक्तियों आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना से संबंधित है।

यह खंड उपबंध करता है कि बोर्ड की कोई कार्यवाही या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है अथवा उसके गठन में कोई दोष है; (ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष है; (ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

**खंड 18**—यह खंड सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरहता से संबंधित है।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए और सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरहित होगा, यदि—(क) उसे दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; (ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; (ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो गया है; (घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; (ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है; (च) वह सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ का व्यवसायरत सदस्य या पदधारी है और उसके ऐसे वित्तीय या अन्य हित हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; (छ) वह सरोगेसी या अनुर्वरता में वाणिज्यिक हित रखने वाले किसी वृत्तिक निकाय का पदधारी, प्रधान है या उसका प्रतिनिधित्व करता है।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि खंड 14 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य को, केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे आदेश जिसे उसके सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर जारी किया हो के सिवाय, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा, जिसे केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी

जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी सदस्य को, जिसके संबंध में खंड 18 के उपखंड (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की गई हो या लंबित हो, उस समय तक निलंबित कर सकेगी, जब तक कि जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आदेश पारित न कर दिया जाए ।

**खंड 19**—यह खंड विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त होने से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, किसी व्यक्ति को सहयुक्त कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह की उसे अधिनियम के किसी भी उपबंध को पूरा करने के लिए वांछा हो ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि बोर्ड के साथ खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए सहयुक्त किए गए व्यक्ति को सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे बोर्ड की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा ।

**खंड 20**—यह खंड बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों के अधिप्रमाणन से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और बोर्ड द्वारा जारी सभी अन्य लिखतों को बोर्ड के सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

**खंड 21**—यह खंड सदस्य की पुनःनियुक्ति के लिए पात्रता से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि सेवा के यथा विहित अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति सदस्य न रह जाने पर ऐसे सदस्य के रूप में पुनःनियुक्ति का पात्र होगा । तथापि, परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य दो लगातार पदावधियों के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

**खंड 22**—यह खंड बोर्ड के कृत्यों से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-  
 (क) सरोगेसी से संबंधित नीतिगत विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ; (ख) अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मानीटर करना तथा उनमें परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ; (ग) सरोगेसी क्लीनिकों में कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा पालन करने के लिए आचार संहिता अधिकथित करना ; सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा नियोजित किए जाने के लिए भौतिक अवसंरचना प्रयोगशाला और नैदानिकों उपस्करों तथा विशेषज्ञ जनशक्ति के लिए न्यूनतम मानक अधिकथित करना ; (घ) अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्यपालन की निगरानी करना और उनके प्रभावी कार्यपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाना ; (ङ) राज्य सरोगेसी बोर्डों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण

करना; और (च) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं ।

**खंड 23**—यह खंड राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र जिसका विधान-मंडल है, यथास्थिति, राज्य सरोगेसी बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात बोर्ड का गठन करेगा और जो निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—(i) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कार्य कर रहे समुचित प्राधिकारियों के कार्यकलापों का पुनर्विलोकन करना और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की सिफारिश करना ; (ii) अधिनियम, नियम और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा बोर्ड को उनसे संबंधित समुचित सिफारिशें करना ; (iii) अधिनियम के अधीन राज्य में किए गए विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में यथा विहित की जाने वाली ऐसी समेकित रिपोर्टें बोर्ड और केन्द्रीय सरकार को भेजना ; और (iv) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं ।

**खंड 24**—यह खंड राज्य बोर्ड की संरचना से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि राज्य बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—(क) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, पदेन ; (ख) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव, उपाध्यक्ष, पदेन; (ग) महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, विधि और न्याय तथा गृह कार्य विभागों के प्रभारी सचिव या आयुक्त या उनके नामनिर्देशिती, सदस्य, पदेन ; (घ) राज्य सरकारों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महानिदेशक, सदस्य, पदेन ; (ङ) राज्य विधान सभा या संघ राज्यक्षेत्र विधान परिषद् की तीन महिला सदस्य, सदस्य, पदेन ; (च) राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित प्रत्येक में से दो नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस विशेषज्ञ सदस्य—(i) विख्यात चिकित्सा आनुवंशिक विज्ञानी या मानव भ्रूण विज्ञानी ; (ii) विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विज्ञानी या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ ; (iii) विख्यात समाज विज्ञानी ; (iv) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि ; (v) महिला स्वास्थ्य और बालक विषयों पर कार्य कर रही सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों जो विहित किए जाएं ; (छ) महिला कल्याण का प्रभारी राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का कोई अधिकारी, जो पदेन सदस्य सचिव, होगा ।

**खंड 25**—यह खंड सदस्यों की पदावधि से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि,—(क) राज्य विधान सभा या संघ राज्यक्षेत्र विधान परिषद् की तीन महिला सदस्य, सदस्य-पदेन के नामनिर्देशन की दशा में तीन वर्ष होगी । तथापि, परंतु ऐसे सदस्य की पदावधि, उसके मंत्री या उपमंत्री या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति या उप सभापति बनते ही या उस सदन का सदस्य न रहने पर जिससे उसका चयन किया गया था, तुरंत समाप्त हो जाएगी ; (ख) दस विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की दशा में एक वर्ष होगी । तथापि, परंतु इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु वह होगी जो विहित



की जाए ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि मृत्यु, त्यागपत्र या रोग या अन्य अक्षमता के कारण कर्तव्यों का निर्वहन करने में उसकी असमर्थता के कारण हुई पद की रिक्ति को, रिक्ति होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति की शेष अवधि के लिए जिसके स्थान पर उसकी इस प्रकार नियुक्ति की गई थी, पद धारण करेगा ।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं ;

**खंड 26**—यह खंड राज्य बोर्ड की बैठकों से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि राज्य बोर्ड ऐसे स्थानों और समय पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा (जिसके अंतर्गत उसके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए । तथापि, राज्य बोर्ड चार मास में कम से कम एक बैठक करेगा ;

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष राज्य बोर्ड की बैठकों में भाग लेने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष राज्य बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि राज्य बोर्ड की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका उपयोग करेगा ।

इस खंड का उपखंड (4) यह उपबंध करता है कि पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य राज्य बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्यय को प्राप्त करेंगे ।

**खंड 27**—यह खंड रिक्तियों आदि से संबंधित है न कि राज्य बोर्ड की कार्यवाही को अविधिमान्य करने से । खंड यह उपबंध करता है कि राज्य बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र --(क) राज्य बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या (ख) राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या (ग) राज्य बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं कर रही है ।

**खंड 28**—यह खंड सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरहताओं से संबंधित है । इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने और सदस्य बने रहने के लिए निरहित हो जाएगा यदि वह,-- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या (ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में

नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या (ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ; या (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या (ङ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है ; या (च) सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगम का व्यवसायगत सदस्य या पदधारी है जिसका वित्तीय या अन्य हित है जिससे उसके सदस्य के रूप में कृत्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या (छ) सरोगेसी या अनुर्वरता में कोई वाणिज्यिक हित रखने वाले किसी व्यवसायिक निकाय का पदधारी, जो उसकी अध्यक्षता या प्रतिनिधित्व करता है ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि खंड 24 के उपखंड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों को सिवाय उसके साबित दुर्यवहार या अक्षमता के आधार के उसके पद से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसरण में की गई जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि सदस्य को पद से हटाया जाना चाहिए, पद से नहीं हटाया जाएगा ।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की गई है या लंबित है राज्य सरकार द्वारा जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई आदेश पारित करने तक, निलंबित कर सकेगी ।

**खंड 29**—यह खंड राज्य बोर्ड के साथ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों के अस्थायी संगम से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि राज्य बोर्ड स्वयं के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के किसी उपबंध को पूरा करने के लिए वांछा करे, सहयुक्त कर सकेगा।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि राज्य बोर्ड द्वारा उसके साथ सहयुक्त व्यक्ति को सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे राज्य बोर्ड के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा ।

**खंड 30**—यह खंड राज्य बोर्ड के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन करने से संबंधित है ।

खंड यह उपबंध करता है कि राज्य बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और राज्य बोर्ड द्वारा जारी सभी अन्य लिखतों को सदस्य सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

**खंड 31**—यह खंड सदस्यों की पुनःनियुक्ति के लिए पात्रता से संबंधित है ।

खंड यह उपबंध करता है कि सेवा के यथा विहित अन्य निबंधनों और शर्तों के

अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति सदस्य न रह जाने पर ऐसे सदस्य के रूप में पुनःनियुक्ति का पात्र होगा । तथापि, पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य दो निरंतर से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

**खंड 32**—यह खंड समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी ।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि समुचित प्राधिकारी—खंड 32 के उपखंड (1) और उपखंड (2) के अधीन (क) जब संपूर्ण राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाएं, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव या उससे उपर के रैंक का कोई अधिकारी—अध्यक्ष; (ii) महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई विख्यात महिला—सदस्य; और (iii) राज्य विधि विभाग या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र का उप सचिव से अन्यून रैंक का कोई अधिकारी—सदस्य; (iv) एक विख्यात रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी- सदस्य : तथापि, उनमें होने वाली किसी रिक्ति को, ऐसी रिक्ति के होने के एक मास के भीतर भरा जाएगा; (ख) जब राज्य के किसी भाग या संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किया जाता है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार जैसा उचित समझें ऐसे अन्य रैंक के अधिकारी होंगे ।

**खंड 33**—यह खंड समुचित प्राधिकारी के कृत्यों से संबंधित है ।

खंड यह उपबंध करता है कि समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—(क) किसी सरोगेसी क्लीनिक को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करना, निलंबित करना या रद्द करना ; (ख) सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा पूरे किए जाने वाले मानकों को लागू करना; (ग) इस अधिनियम, तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के भंग करने की शिकायतों का अन्वेषण करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिक कार्रवाई करना ; (घ) स्वप्रेरणा से या जानकारी में लाए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा विहित स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर सरोगेसी का उपयोग करने के विरुद्ध समुचित विधिक कार्रवाई करना और ऐसी रीति में स्वतंत्र अन्वेषण भी प्रारंभ करना ; (ङ) इस अधिनियम, नियमों और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना; (च) बोर्ड और राज्य बोर्डों को प्रौद्योगिकी या सामाजिक स्थितियों में परिवर्तनों के अनुसार नियमों और विनियमों में अपेक्षित उपांतरणों के बारे में सिफारिश करना ; (छ) सरोगेसी क्लीनिकों के विरुद्ध उसे प्राप्त शिकायतों पर अन्वेषण करने के पश्चात् कार्रवाई करना ; और (ज) अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी आवेदन पर विचार करेगा और उसे अनुदत्त या अस्वीकार करेगा ।

**खंड 34**—यह खंड समुचित प्राधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के संबंध में शक्तियों का उपयोग करेगा, अर्थात् :--(क) किसी व्यक्ति को समन करना जिसके पास इस अधिनियम, नियमों और तदधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई जानकारी है; (ख) उपखंड (क) से संबंधित किसी दस्तावेज या तात्विक वस्तु को पेश करना; (ग) किसी ऐसे स्थान की तलाशी लेना जिसकी इस अधिनियम, नियमों और तदधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघनों का संदेह है; और (घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो विहित की जाएं ;

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि समुचित प्राधिकारी सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, आशय रखने वाले दम्पति और सरोगेट माताओं को प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या सरोगेसी क्लीनिकों को अनुज्ञप्ति आदि अनुदत्त करने से संबंधित अन्य विषयों के ब्यौरों को ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, बनाए रखेगा ।

**खंड 35**—यह खंड वाणिज्यिक सरोगेसी, सरोगेट माताओं और सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालकों के शोषण का प्रतिषेध से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लीनिक, या किसी प्रकार की प्रयोगशाला या स्थापन--(क) वाणिज्यिक सरोगेसी नहीं करेगा, वाणिज्यिक सरोगेसी या उससे संबंधित संघटक प्रक्रियाएं या किसी भी रूप में सेवाएं प्रदान नहीं करेगा या सरोगेट माताओं को पैन्लीकृत करने या उनका चयन करने के लिए कोई रैकेट या संगठित समूह नहीं चलाएगा या व्यष्टिक दलालों या मध्यवर्तियों का सरोगेट माताओं का प्रबंध करने के लिए और सरोगेसी प्रक्रियाओं का ऐसे क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं या किसी अन्य स्थान पर उपयोग नहीं करेगा; (ख) वाणिज्यिक सरोगेसी के संबंध में किसी भी माध्यम से चाहे वैज्ञानिक या अन्यथा कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं करेगा, वितरित नहीं करेगा या जारी करना, प्रकाशित करना या वितरित करना या संसूचित करना कारित नहीं करेगा ; (ग) सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक या बालकों को परित्यक्त या अस्वीकार नहीं करेगा या उनका शोषण नहीं करेगा या परित्यक्त करना, उनका शोषण करना या उनको अस्वीकार करना कारित नहीं करेगा; (घ) सरोगेट माता या बालक का चाहे कोई भी रीति हो, शोषण नहीं करेगा या शोषण करना कारित नहीं करेगा; (ङ) सरोगेसी के प्रयोजन के लिए मानव भ्रूण या युग्मकों का विक्रय नहीं करेगा और सरोगेसी के प्रयोजन के लिए मानव भ्रूणों या युग्मकों के विक्रय, क्रय या व्यापार के लिए कोई अभिकरण, रैकेट या संगठन नहीं चलाएगा ; (च) किसी भी रीति में वह जो भी हो मानव भ्रूणों या मानव युग्मकों का सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं के लिए आयात नहीं करेगा या आयात करने में सहायता नहीं करेगा ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि भारतीय दंड संहिता, में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) के उपबंधों का उल्लंघन अपराध होगा जो कारावास की ऐसी अवधि से जो दस वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

इस खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विज्ञापन" पद में कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या कोई अन्य दस्तावेज सम्मिलित है जिसके अंतर्गत इंटरनेट या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी या प्रिंट में विज्ञापन सम्मिलित है और इसके अंतर्गत किसी होर्डिंग, वाल पेंटिंग, सिग्नल लाइट, ध्वनि, धुंए या गैस के माध्यम से कोई दृश्य अभ्यावेदन भी सम्मिलित है ।

**खंड 36**—यह खंड अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके स्वामित्वाधीन कोई सरोगेसी क्लीनिक है या वह ऐसे क्लीनिक या केन्द्र या प्रयोगशाला के साथ नियोजित है और ऐसे क्लीनिक या केन्द्र या प्रयोगशाला में या उसको अपनी व्यावसायिक या तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है चाहे मानद या अन्यथा और जो इस अधिनियम (खंड 35 में निर्दिष्ट उपबंधों से भिन्न), नियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से अन्यून नहीं होगी और जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि खंड 36 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट पश्चातवर्ती अपराध या उस अपराध के जारी रहने की दशा में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नाम को समुचित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिसके अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करना भी है के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद् को रिपोर्ट किया जाएगा ।

**खंड 37**—यह खंड वाणिज्यिक सरोगेसी आरंभ करने के लिए दंड से संबंधित है ।

खंड यह उपबंध करता है कि कोई आशय रखने वाला युगल या कोई व्यक्ति जो सरोगेसी क्लीनिक, प्रयोगशाला या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्रीरोग विज्ञानी, बाल रोग विशेषज्ञ, मानव भ्रूण विज्ञानी या किसी अन्य व्यक्ति से वाणिज्यिक सरोगेसी में सहायता की मांग करता है, या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सरोगेसी प्रक्रियाओं को संचालित करता है, पांच वर्ष से अन्यून कारावास से और जुर्माने से जो पहले अपराध के लिए पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**खंड 38**—यह खंड अधिनियम और नियम के उपबंधों जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है के उल्लंघन के लिए शास्ति से संबंधित है ।

खंड यह उपबंध करता है कि जो कोई अधिनियम, नियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है जिनके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, कारावास की ऐसी अवधि से जो तीन वर्ष से अन्यून नहीं होगी और जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा और ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन के जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार

रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**खंड 39**—यह खंड सरोगेसी की दशा में उपधारणा से संबंधित है ।

खंड यह उपबंध करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया गया हो, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि, यथास्थिति, महिला या सरोगेट माता को उसके पति या आशय रखने वाले युगल या किसी अन्य नातेदार द्वारा सरोगेसी सेवाएं, प्रक्रियाएं या युग्मकों का दान करने के लिए धारा 4 के उपखंड (ii) से भिन्न प्रयोजनों के लिए विवश किया गया है और ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरण के ऐसे अपराध के लिए धारा 37 के अधीन दायी होगा और उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा ।

**खंड 40**—यह खंड अपराधों का संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय होने वाले अपराध से संबंधित है ।

खंड यह उपबंध करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय होगा।

**खंड 41**—यह खंड अपराधों के संज्ञान से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, सिवाय निम्नलिखित द्वारा की गई लिखित शिकायत के संज्ञान नहीं लेगा--(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी या कोई अभिकरण जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है या कोई समुचित प्राधिकारी ; या (ख) कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत सामाजिक संगठन भी है जिसने विहित रीति में पंद्रह दिन से अन्यून अवधि की, कथित अपराध की, और न्यायालय को शिकायत करने के अपने आशय की सूचना किसी समुचित प्राधिकारी को दी है ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

**खंड 42**—यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के कतिपय उपबंधों के लागू न होने से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त संहिता के अध्याय 21क के सौदा अभिवाक् से संबंधित उपबंध इस अधिनियम के अधीन अपराधों को लागू नहीं होगा ।

**खंड 43**—यह खंड अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि सरोगेसी क्लीनिक सभी अभिलेखों, चार्टों, प्ररूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों और करारों तथा इस अधिनियम के अधीन अन्य सभी दस्तावेजों को बनाए रखेगा और उन्हें पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के

लिए जो विहित की जाए, परिरक्षित किया जाएगा। तथापि, यदि किसी सरोगेसी क्लीनिक के विरुद्ध कोई दांडिक या अन्य कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं तो ऐसे क्लीनिक के अभिलेखों और अन्य सभी दस्तावेजों को ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटान तक परिरक्षित किया जाएगा।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि ऐसे सभी अभिलेख सभी युक्तियुक्त समयों पर समुचित प्राधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

**खंड 44**—यह खंड अभिलेखों की तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति आदि से संबंधित है।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि यदि समुचित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किसी सरोगेसी क्लीनिक या किसी अन्य स्थान पर कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसा प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसी सहायता सहित यदि कोई हों, जैसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, ऐसे सरोगेसी क्लीनिक या किसी अन्य स्थान में प्रविष्ट हो सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या कोई अन्य तात्त्विक सामग्री जो उसमें पाई जाती है की जांच करेगा तथा उसका अभिग्रहण करेगा और उसे मुहरबंद करेगा, यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को लागू होंगे।

**खंड 45**—यह खंड सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण से संबंधित है। इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक की गई किसी बात या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**खंड 46**—यह खंड अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना से संबंधित है। यह खंड उपबंध करता है कि इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

**खंड 47**—यह खंड नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।

यह खंड उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

**खंड 48**—यह खंड विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों ।

**खंड 49**—यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम और अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

**खंड 50**—यह खंड संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से विद्यमान सरोगेट माताओं को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दस मास की सगर्भता अवधि का उपबंध किया जाएगा ।

**खंड 51**—यह खंड कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से संबंधित है ।

इस खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी तथापि, इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।



## वित्तीय ज़ापन

सरोगेसी (विनियमन), विधेयक, 2016 की धारा 16 का खंड 4 और धारा 26 यह उपबंध करते हैं कि राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड की अधिवेशनों के लिए पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य ऐसे बोर्डों की अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ही प्रतिकारात्मक यात्रा व्यय प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय, राज्य सरोगेसी बोर्ड और समुचित प्राधिकारियों की अधिवेशनों के लिए कोई ऐसी वित्तीय विवक्षाएं होंगी अन्यथा नहीं जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के नियमित बजट से पूरी की जाएंगी।

2. विधेयक में भारतीय संचित निधि से आवर्ती अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्वर्तित नहीं है।

## प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 47 अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है जिससे इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना जा सकें। विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में-(क) धारा 3 के खंड (iii) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सरोगेसी क्लिनिक में नियोजित व्यक्तियों की न्यूनतम अर्हताएं; (ख) वह रीति जिसमें कोई व्यक्ति धारा 3 के खंड (ii) के अधीन मानवीय भ्रूण या मानव युग्मकों को भंडारित करेगा; (ग) धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (क) की मद (III) के अधीन किसी बीमा कंपनी से सरोगेट माता के पक्ष में बीमा कवर; (घ) धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ख) की मद (III) के परंतुक के अधीन सरोगेसी या युग्मकों के प्रदान करने के प्रयासों की संख्या; (ङ.) वह प्ररूप जिसमें सरोगेट माता की सहमति धारा 6 के खंड (ii) के अधीन अभिप्राप्त की जानी है; (च) धारा 8 के अधीन सरोगेट माता में गर्भ रोपित किए जाने वाले युग्मक पुटी या भ्रूण की संख्या; (छ) वे शर्तें जिनके अधीन सरोगेट माता को धारा 9 के अधीन सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान गर्भपात के लिए अनुज्ञात किया जाएगा; (ज) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए और उसकी संदेय फीस के लिए आवेदन किया जाएगा; (झ) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन प्रदान किए जाने वाली सुविधाएं, सरोगेसी क्लिनिकों द्वारा बनाए रखे जाने वाले उपस्कर और अन्य मानक; (ञ) वह रीति और प्ररूप जिसमें रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया जाएगा; (ट) वह रीति जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जाएगा और धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे नवीकरण के लिए संदेय फीस; (ठ) वह रीति जिसमें धारा 13 के अधीन अपील की जा सकेगी; (ड) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन यथा अनुज्ञेय सदस्यों के लिए अर्हताएं और अनुभव; (ढ) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के विरुद्ध जांच करने की प्रक्रिया; (ण) वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन बोर्ड का सदस्य धारा 21 के अधीन पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है; (त) धारा 22 के खंड (च) के अधीन बोर्ड के अन्य कृत्य; (थ) धारा 23 के खंड (iii) बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार को राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र बोर्डों द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्टें; (द) धारा 23 के खंड (iv) के अधीन राज्य बोर्ड के अन्य कृत्य; (ध) धारा 24 के अधीन सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव तथा उनकी नियुक्ति की रीति; (न) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन धारा 24 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु; (प) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के विरुद्ध जांच करने की प्रक्रियाएं; (फ) वे शर्तें जिनके अधीन राज्य बोर्ड के सदस्य धारा 31 के अधीन पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं; (ब) धारा 33 के खंड (घ) के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा समुचित विधिक कार्रवाई; (भ) धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन समुचित प्राधिकारी की अन्य शक्तियां; (म) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्ररूप में सरोगेसी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण आदि के ब्योरों की विशिष्टियां; (य) धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सूचना देने की रीति;

(यक) वह अवधि जिस पर अभिलेख चार्ट आदि धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन परिरक्षित रखे जाएंगे; (यख) धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें दस्तावेजों, अभिलेखों, वस्तुओं आदि के अभिग्रहण किए जाएंगे और वह रीति जिसमें अभिग्रहण सूची तैयार की जाएगी और परिदत्त की जाएगी ; और (यग) कोई अन्य विषय जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना है या बनाया जा सकेगा या जिसके संबंध में उपबंध किया जाना है ।

2. विधेयक का खंड 48 अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड को ऐसे विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है जो--(क) ऐसी किसी अन्य शर्त का पूरा किया जाना जिसके अधीन पात्रता प्रमाण पत्र समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ग) की मद (i) के अधीन जारी किया जाना है ; (ख) बोर्ड अधिवेशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे सदस्यों की संख्या जो धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन गणपूर्ति करेंगे ; (ग) वह रीति जिसमें व्यक्ति को धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जा सकेगा; (घ) राज्य बोर्ड के अधिवेशनों का समय और स्थान और ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे सदस्यों की संख्या जो धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन गणपूर्ति करेंगे ; (ङ.) वह रीति जिसमें कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ सहयुक्त किया जा सकेगा ; और (च) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा अपेक्षित हो या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) वे विषय जिनके संबंध में उक्त नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और अतः प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 का शुद्धिपत्र

---

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
2	4	अभिभावकों	संरक्षकों
24	2	(2)	(1)
24	18	धारा 18	धारा 19
26	4	की वहां सूचित	की सूचित
26	25	आशयित	आशय रखने वाले
27	8	वह उपस्करों	वे उपस्करों
27	17	से दंडनीय	दंडनीय
31	2	था 1	था ।
35	33	खंड (च)	खंड (2) के मद (च)
40	25	रजिस्ट्रीकरण	रजिस्ट्रीकरण
41	35	उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) के	उपधारा (1) के
46	8	भारतीय	भारत की
47	28	धारा 24 के	धारा 24 के खंड (च) के
48	2	धारा 54	धारा 44

---